

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राजस्थान जयपुर

राजस्थान ANM

(महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति)

Rate 50/-

सीट-1650

योग्यता 12वीं

Offline

महिला

नोट - फोटो स्टेट किया हुआ आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा ।

इस निदेशालय के अधीन संचालित राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में सत्र 2026-27 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये दिनांक - 24-8-2026 से दिनांक 07-9-2026 (सांय 6 बजे) तक आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं ।

आवेदन हेतु पात्रता / योग्यता की प्रमुख शर्तें निम्नानुसार हैं : 1. शैक्षणिक योग्यता :- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सीनियर सैकेंड्री परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों की इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । 2. आयु दिनांक :- 31/12/26 को 17 वर्ष से कम तथा, 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये । अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की नियमानुसार छूट देय है ।

योग्यता 12वीं

3. सीटों की संख्या :- कुल सीटों की संख्या 1650, 60 शीटें (प्रवेश क्षमता वाले जिले) अजमेर, नागौर, भरतपुर, जयपुर प्रथम कोटा, उदयपुर, जोधपुर व केकडी 45 शीटें (प्रवेश क्षमता वाले जिले) भीलवाड़ा, टोंक, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अलवर, सीकर, दौसा, झुन्झुनू, बूंदी, बारा, सिरोही, झालावाड़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, प्रतापगढ़ 4. आरक्षण :- अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिये 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 12 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत - आरक्षण विज्ञप्ति के अनुसार देय होगा। राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग को ही नियमानुसार आरक्षण देय होगा। कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र क्रमांक प 7 (1) कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 23.06.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत आरक्षण विज्ञप्ति के अनुसार देय होगा। (नवीन प्रमाण पत्र संलग्न किया गया हो) अनुसूचित खण्डों के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, विधवाओं एवं तलाक़ शुदा एवं निःशक्तजन अभ्यर्थियों, विभागीय चतुर्थ श्रेणी महिला अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा। आवेदन पत्र के साथ भेजने वाले दस्तावेज : शैक्षिक व सभी व्यवसायिक योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र (10वीं का प्रमाण पत्र), जाति प्रमाण पत्र, आधारकार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, विधवा या तलाक़शुदा होने का प्रमाण पत्र, 20 रु का पोस्टल आर्डर, 5. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि :- आई एन सी के नये सिलेबस (छठा संस्करण 2012) के अनुरूप 2 वर्ष (18 माह + 6 माह इन्टर शिप होगी) 6. स्टाई फण्ड :- चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाई पेड देय होगा। आवेदन वाले लिफाफे पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु बड़े अक्षरों में अवश्य लिखें। 7. चयन प्रक्रिया :- चयन जिला स्तरीय मैरिट के अनुसार जिला मुख्यालय पर काउंसलिंग द्वारा होगा। 8. आवेदन शुल्क :- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम देय 20/- रुपये (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति लिये निःशुल्क) का पोस्टल आर्डर आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र किस पते पर :- आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जो उस जिले के प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी हैं, के कार्यालय में दिनांक 07/09/26 को सांय 6 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। (आवेदन पत्र रजिस्टर्ड/साधारण डाक/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत भिजवाये जा सकते हैं।)

कृपया समस्त विवरण के लिए 18.08.2026 का दैनिक भास्कर देखें किसी भी त्रुटिके लिए फार्म प्रकाशक एवं विक्रेता जिम्मेदार नहीं होगा। यह जानकारी काटकर अपने पास रख लें।
आवेदन के साथ ना भेजें।